

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 165(13)ले.ब./परावि/ते.वि.आ./10-11/ 196

जयपुर, दिनांक 31/11

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 की सामान्य बुनियादी अनुदान एवं विशेष क्षेत्र बुनियादी अनुदान ग्राम पंचायतों हेतु द्वितीय किश्त की हिस्सा 14354.47 लाख रु. (अक्षर राशि रु एक सौ तयालीस करोड चब्वन लाख सैतालीस हजार मात्र) ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में संलग्न सारणीनुसार हस्तान्तरण किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग विभाग द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा निर्देशों के अध्वधीन रहते हुए उक्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत चिन्हित कार्यों पर ही किया जावे। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:-

(राशि लाखों रूपयें में)

मद	सामान्य बुनियादी अनुदान राशि	विशेष क्षेत्र बुनियादी अनुदान राशि	कुल योग
मांग सं. 41 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 198-ग्राम पंचायतों को सहायता (16)-तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान [02]-कार्यकलाप / गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (आयोजना-भिन्न)	14181.40	173.07	14354.47

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 271100046 दिनांक 31.01.2011 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
2. निदेशक वित्त (आय-व्ययक)विभाग, को भेजकर कर अनुरोध है कि उक्तानुसार व्यवस्था के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही तत्काल पूर्ण करने हेतु कोष कार्यालय, सचिवालय को उचित निर्देश प्रदान करने का श्रम करावे।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
4. विशेषाधिकारी वित्त (व्यय-5) विभाग।
5. विशेषाधिकारी (आर्थिक मामलात) विभाग।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय को प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे एफ.वी.सी. बिलों के अनुसार बैंक तैयार करवाकर विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का श्रम करावे।

7. संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि आपके बैंक एवं आपके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्थित ग्राम पंचायतों के खातों में पंचायतों के नाम के सम्मुख अंकित राशि सम्बन्धित खातों में अन्तरित करवाने की एक कार्य दिवस में व्यवस्था करावें, तथा विभाग को अविलम्ब सूचित करें।
8. चीफ मैनेजर / ब्रान्च मैनेजर बैंक को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि सारणी में अंकित ग्राम पंचायतों के सम्मुख अंकित राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अविलम्ब "सरपंच, ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला " के नाम बनाकर प्रेषित करावें।
9. समस्त चीफ मैनेजर/ब्रान्च मैनेजर संबंधित बैंक को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सारणियों के अनुसार खाता संख्या संबंधित ग्राम पंचायत का ही है इसकी पुष्टि उपरान्त ही राशि का अन्तरण किया जावें। गलत खाते में अन्तरण नहीं हो इसका ध्यान रखा जावे। यदि किसी भी ग्राम पंचायत के नाम में अथवा बैंक ब्रान्च खाता संख्या में ऐसी कोई भिन्नता आती है जिसके कारणवश राशि का अन्तरण संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा हो तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने पर अविलम्ब " सरपंच ग्राम पंचायत.....(प.स..... जिला के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चेक बनाकर प्रेषित कराने का श्रम करावें।
10. समस्त चीफ मैनेजर, / ब्रान्च मैनेजर संबंधित बैंक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया में किसी भी बैंक को राशि के हस्तान्तरण करने अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने इत्यादि पर किसी भी तरह का कोई कमीशन/सर्विस चार्ज आदि देय नहीं होगा।
11. आहरण एवं वितरण अधिकारी, विभाग मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त स्वीकृति के आधार पर एफ.वी.सी. बिल तैयार कर कोषालय, सचिवालय प्रेषित कर पारित करवाने की तत्काल व्यवस्था करावे।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होने वाली तेरहवें वित्त आयोग की राशि के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रस्थ विकास अधिकारीगण एवं सरपंचगण को तत्काल सूचित करवाये कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अध्यक्षीन रहते हुये उक्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत चिन्हित कार्यों पर ही किया जावे तथा समस्त विकास अधिकारीगण इस बाबत अपने क्षेत्रस्थ ग्राम पंचायतों को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर दें, ग्राम पंचायतवार अन्तरित राशि की सूची ई-मेल से प्रेषित की गई है। अतः तदनुसार प्रिन्ट लेकर विकास अधिकारी एवं सरपंच, ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करावे।
13. लेखाधिकारी, जिला परिषद समस्त
14. समस्त विकास अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होने वाली तेरहवें वित्त आयोग की राशि के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रस्थ सरपंचगण को तत्काल सूचित करवाये कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अध्यक्षीन रहते हुये उक्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत चिन्हित कार्यों पर ही किया जावे, ग्राम पंचायतवार अन्तरित राशि की सूची ई-मेल से प्रेषित की गई है। अतः तदनुसार प्रिन्ट लेकर सरपंच, ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करावे।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव एवं आयुक्त